


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक वेतन श्रृंखला (6500-10500) के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ-1(2)एफ.डी/नियम/2006 दिनांक: 13.03.06 एवं एफ 12 (6) एफ.डी/नियम/05 दिनांक: 13.03.06 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियम स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के नियम 22 एवं अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 07 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 (9300-34800 एवं ग्रेड पे 4800/-रु) एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 07 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है।


| क्र. सं. | मैरिट क्रमांक एवं वर्ग | व्याख्याता का नाम मय पदस्थापन स्थान - सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राउमावि) | जन्मतिथि | विषय | व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण तिथि | स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि |
|----------|------------------------|---|----------|------|----------------------------------|--|
| 01 | 35, एस.टी. | विकास सोलंकी, पदमपुर (श्रीगंगानगर) | 19.04.83 | गणित | 08.09.12 | 08.09.14 |


(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/प्रो.टे/भौतिक/गणित/नियमितकरण-स्थाईकरण/2014 दिनांक: 17.4.2014
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II).....
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग, कार्यालय हाजा
6. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर